

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या:- 1380/XVIII(1)/2015-03(3)/2014
देहरादून: दिनांक: 23 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

विज्ञप्ति

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड में राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) सेवा नियमावली-2015

भाग 1-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) सेवा नियमावली, 2015 कहलायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. सेवा की प्रास्थिति- उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) सेवा अराजपत्रित, अधीनस्थ कार्यकारी सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।
3. परिभाषा- 'जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से असिस्टेंट कलेक्टर अभिप्रेत है ;
(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता हो।
(ग) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;
(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है ;
(ङ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;
(च) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

- (छ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड राज्य में राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) की सेवा अभिप्रेत है;
- (ज) 'ग्राम' से राजस्व ग्राम अभिप्रेत है;
- (झ) 'राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र' से पर्वतीय जनपदों में भू राजस्व अधिनियम की धारा-21 में उल्लिखित ऐसा लेखपाल 'हल्का' से भिन्न लेखपाल 'हल्का' अभिप्रेत है, जिसमें सम्मिलित समस्त ग्राम एवं नगर क्षेत्र नियमित पुलिस के कार्य क्षेत्र में नहीं आता हो।
- स्पष्टीकरण- ऐसे समस्त लेखपाल हल्के जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राजस्व पुलिस प्रणाली से आच्छादित हैं, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र की परिभाषा में सम्मिलित होंगे ;
- (ञ) 'राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल)' से राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में राजस्व सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु तैनात राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है जो कि उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा का सदस्य हो।
- (ट) 'जनपद' से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपद अभिप्रेत हैं,
- (ठ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;
- (ड) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;
- (ढ) "राजस्व परिषद" से राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है;
- (ण) "विभागाध्यक्ष" से अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है ;
- (त) 'आयुक्त' से उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ व गढ़वाल मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है ;
- (थ) 'कलेक्टर' से जनपद का कलेक्टर अभिप्रेत है ;
- (द) 'असिस्टेंट कलेक्टर' से तहसील/परगने का भारसाधक उपखण्ड अधिकारी अभिप्रेत है ;

- (ध) 'अनुसेवक/चेनमैन' से ऐसा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभिप्रेत है, जो मौलिक रूप से भूलेख अधिष्ठान (मैदानी) के समूह 'घ' के कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुआ हो;
- (न) "कार्यकारी निदेशक" से राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा का कार्यकारी निदेशक अभिप्रेत है ;
- (प) "संस्थान" से राजस्व पुलिस एवं भूलेख, सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा अभिप्रेत है ;
- (फ) "प्रशिक्षु" से संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (ब) "प्रशिक्षण वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है ;

भाग 2—संवर्ग

4. सेवा संवर्ग— (1) राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) सेवा का संवर्ग जनपदीय होगा और सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
- (2) सेवा में पदों की संख्या, जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट-1 में दी गयी है ;
- परन्तु उपबन्ध यह है कि—
- (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- (ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।
- (ग) जनपद में किसी समय राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रों में रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर, जब तक कि रिक्तियों को नियमित चयन द्वारा भर नहीं दिया जाता, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में जनपद के अन्य लेखपाल हल्कों से लेखपालों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा अथवा किसी अन्य क्षेत्र में तैनात राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) को राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र का अतिरिक्त कार्यभार, पुलिस कार्य से भिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु दिया जा सकेगा।

भाग 3-भर्ती

5. भर्ती स्रोत- का (1) सेवा के पदों में भर्ती नियम-6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम-27 के अनुसार, सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की, तैयार की गई सूची में से वरिष्ठता क्रम से की जायेगी। विहित प्रशिक्षण हेतु चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जायेगा:-
- (क) संवर्ग के 75 प्रतिशत पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों से ;
- (ख) संवर्ग के 25 प्रतिशत पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले अनुसेवक/चेनमैन से ;
- परन्तु पात्र अनुसेवक/चेनमैन उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों के सापेक्ष उपनियम (क) के अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण हेतु चयन किया जा सकेगा।
- (2) संवर्ग के पद रिक्त होने की दशा में राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) के पद पर नियुक्ति हेतु, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का विहित प्रशिक्षण प्राप्त पात्र अभ्यर्थियों की सूची में से वरिष्ठता क्रम में, यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति दी जाती है तो, नियुक्ति किया जा सकेगा
- परन्तु एक बार राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) के पद पर नियुक्ति कर दिये जाने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी का राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद पर नियुक्ति हेतु तैयार पात्रता सूची से नाम हटा दिया जायेगा।
6. आरक्षण- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-4 अर्हताएं

7. राष्ट्रीयता- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी-
- (क) भारत का नागरिक हो। या
- (ख) "तिब्बती शरणार्थी", जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या
- (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन

किया हो परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर ही सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी- जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए

8. शैक्षिक अर्हता- नियम-5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है।
9. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण- नियम-5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।
10. अधिमान्नी अर्हता- नियम-5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन होने पर अन्य बातों के समान होते हुए भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के द्वारा विहित प्रशिक्षण के लिए चयन में अधिमान दिया जायेगा, जिसने
(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो,
11. आयु- नियम-5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु, विज्ञप्ति प्रकाशित होने के वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष से कम

एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

12. शारीरिक दक्षता—

पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

13. चरित्र—

सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रारिथिति—

पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगी।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

15. शारीरिक योग्यता—

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में व्यवधान की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा;

अनुसेवक/चेनमैन से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए

16. शैक्षिक अर्हता—

संस्थान में नियम-5 के उपनियम (ख) के अनुसार प्रशिक्षण हेतु अनुसेवक/चेनमैन के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा

- परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अनिवार्य होगी। और
17. न्यूनतम सेवा- अनुसेवक/चेनमैन, जिनके द्वारा अनुसेवक/चेनमैन के पद पर दस वर्ष तक का कार्य किया जा चुका हो और अपने पद पर स्थायी हो। और
18. आयु संस्थान में नियम-5 के उपनियम (ख) के अनुसार प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आयु, संवर्ग में अनुसेवक/चेनमैन के लिए आरक्षित पद की रिक्ति के वर्ष की प्रथम जुलाई, को प्रशिक्षण हेतु चयनित अनुसेवक/चेनमैन की उम्र 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया

(सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए प्रक्रिया)

19. रिक्तियों की अवधारणा- संस्थान में नियम-5 के उपनियम (क) के अनुसार विहित प्रशिक्षण के लिए, सीधी भर्ती के द्वारा, चयन हेतु जनपद में तैनात सहायक भूलेख अधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अवधारित कर कलेक्टर के समक्ष चयन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर जनपद की कुल रिक्तियों में से नियम-6 के अनुसार उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।
20. प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए परीक्षा- नियम 19 के अनुसार अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम व प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेश से किया जायेगा।
21. चयन उपरान्त प्रशिक्षण- प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान से, स्वयं के व्यय पर, विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित एक वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

22. प्रशिक्षण के संस्थान में 01 वर्ष के प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षु को दौरान ₹ 9 000.00 प्रतिमाह अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मानदेय- संशोधित दर से मानदेय अनुमन्य होगा। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत मानदेय अनुमन्य नहीं होगा।

(अनुसेवक/चेनमैन से प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया)

23. रिक्तियों की अवधारणा- जनपद में तैनात सहायक भूलेख अधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, अनुसेवक/चेनमैन से चयन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने तक रिक्त हो चुकी और भर्ती के वर्ष के समाप्ति तक सम्भावित रिक्तियों की संख्या आंकलित कर, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु पत्रावली कलेक्टर के समक्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करेगा।
24. प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया- अनुसेवक/चेनमैन के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। चयन में तत्समय प्रभावी आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
25. चयन उपरान्त प्रशिक्षण- प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर एक वर्षीय प्रशिक्षण, तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
26. प्रशिक्षण के दौरान वेतन- प्रशिक्षण काल में ऐसे अभ्यर्थियों को वही वेतन दिया जायेगा, जो वे प्रशिक्षण में जाने से पूर्व अनुसेवक/चेनमैन के पद पर पा रहे थे।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

27. प्रशिक्षण के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया- (1) मात्र प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना सेवा में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। संस्थान से सफलता पूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही, अन्यथा उपयुक्त होने पर, राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

- (2) कलेक्टर निम्नलिखित प्रपत्र में, भर्ती के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में एक सूची रखेगा जिन्होंने संस्थान से सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

सूची का प्रारूप

राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) प्रशिक्षण हेतु चयन का
स्रोत-----सीधी भर्ती / प्रोन्नति

क्रम-संख्या	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	संस्थान से परीक्षा / अनुपूरक परीक्षा पास करने का दिनांक	परीक्षा में प्राप्त कुल अंक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

- (3) संस्थान का कार्यकारी निदेशक प्रति वर्ष, परीक्षाफल घोषित होने पर, जनपदवार परीक्षाफल तैयार कर विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त सीधी भर्ती से चयनित तथा अनुसेवक/चेनमैन से चयनित अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची संबंधित कलेक्टर व मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगा।
- (4) जनपद का कलेक्टर प्रत्येक सूची में नाम उस प्रवीणता के क्रम में रखेगा जिस क्रम में परीक्षा या अनुपूरक परीक्षा (अनुपूरक से तात्पर्य मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियमों के अधीन दिये गये विशेष अवसर से है) उत्तीर्ण की गई हो। एक ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के बीच प्रवीणता का निर्णय, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार (मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए) पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बराबर होने की दशा में अभ्यर्थियों की प्रवीणता प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया की प्रवीणता सूची के आधार पर, अनुसेवक/चेनमैन से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उनकी मौलिक पद पर ज्येष्ठता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- (5) सूची प्रति वर्ष परीक्षाफल प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र पुनरीक्षित की जायेगी।
- (6) सेवा में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम कलेक्टर की सूची में हों। कलेक्टर तहसीलों की रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के

नामों की सूची नियुक्ति अधिकारी को राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल)पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित करेगा, जिसकी प्रति मण्डल के आयुक्त को भी प्रेषित की जायेगी। नियुक्ति अधिकारी प्राप्त सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेंगे प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम हटा सकता है:—

- (क) अभ्यर्थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हों, और
(ख) अन्य अभ्यर्थी, जो कलेक्टर की राय में ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल)के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त न समझे गये हों। सूची में से अपना नाम हटाये जाने के विरुद्ध अभ्यर्थी को राजस्व परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा ;

टिप्पणी— यदि किसी रिक्त स्थान पर नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर कोई अभ्यर्थी सेवा में आने से इंकार करे, तो उसकी ज्येष्ठता समाप्त मानी जायेगी।

भाग 6—परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

28. परिवीक्षा—

- (1) सेवा या किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति सेवा में योगदान की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परिवीक्षा, जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :
- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

29. **स्थायीकरण-** परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने-

(क) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

30. **ज्येष्ठता-** सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-27(6) के तहत कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी कलेक्टर के निर्देश एक ही दिनांक के हों तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 27(4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।

टिप्पणी- सभी स्थायी राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल)की एक पद-क्रम सूची (Gradation List) जनपद व मण्डल में रखी जायेगी। सूची ज्येष्ठता के क्रम में तैयार की जायेगी।

भाग 7-वेतन आदि

31. **वेतनमान-** सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिये अनुमन्य वेतन-क्रम ₹ 5200-20200+ ग्रेड-पे ₹ 2800 प्रतिमाह होगा।

74

32. परिवीक्षा के दौरान वेतन— (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं हो तो, एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

- (2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

भाग 8— अन्य प्राविधान

33. स्थानान्तरण— (1) विशेष परिस्थितियों में आयुक्त, कलेक्टर की संस्तुति से मण्डल के भीतर एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण कर सकेंगे, स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्मिक की ज्येष्ठता सम्बन्धित जनपद में नियम-30 के अनुसार पुनः निर्धारित की जायेगी। कलेक्टर, स्वमति से, जनपद के भीतर एक तहसील/परगना से दूसरी तहसील/परगना और असिस्टेंट कलेक्टर परगने के भीतर, नियम 4(ग) के उपबन्धों से बाधित रहते हुए, एक लेखपाल क्षेत्र/राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से दूसरे लेखपाल क्षेत्र/राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में स्थानान्तरण कर सकता है।
किसी भी दशा में राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) को अपने स्थाई आवास की गृह तहसील में तैनात नहीं किया जा सकेगा।
- (2) यदि कोई भूखण्ड, अभिलेख क्रियाओं या बन्दोबस्त क्रियाओं के अधीन हो तो सहायक कलेक्टर, कलेक्टर या आयुक्त राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) का स्थानान्तरण, यथास्थिति, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं करेंगे।

- (3) राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) एक लेखपाल क्षेत्र/राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में निरन्तर अधिकतम तीन वर्ष से अधिक व परगना/तहसील में निरन्तर अधिकतम पाँच वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रह सकेगा। किसी परगना या तहसील, जिसमें कि उसकी पूर्व में एक ही पद पर कुल पाँच वर्ष या उससे अधिक समय तक तैनाती रह चुकी हो, से स्थानान्तरित कर दिये जाने पर अगले पाँच वर्षों तक पुनः उस परगना/तहसील में उसी पद पर तैनाती नहीं की जा सकेगी।
- (4) राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) की एक लेखपाल क्षेत्र/राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में तैनाती के दौरान की पदावधि न्यूनतम 2 वर्ष की होगी परन्तु निम्नलिखित कारणों से उसकी दो वर्ष की पदावधि समाप्ति से पूर्व सकारण लिखित आदेश के द्वारा सक्षम प्राधिकारी स्थानान्तरण कर सकेगा:-
- (क) उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर या प्रतिनियुक्ति पर जाने पर, या
- (ख) शारीरिक और मानसिक रोग या अन्यथा अक्षमता से अपने कृत्यों और कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होने पर।
- (ग) अनुशासनहीनता, लापरवाही, दुराचरण या अकुशलता की प्रथम दृष्टिया प्रारम्भिक जांच में पुष्टि होने पर प्रशासनिक आधार पर।
- (घ) राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) की तैनाती हो जाने पर
34. सर्वेक्षण उपकरण— सेवा के प्रत्येक सदस्य को सरकारी व्यय पर निम्नलिखित सर्वेक्षण उपकरण दिये जायेंगे :-
- (क) गुनिया;
- (ख) कंघी;
- (ग) परकार;
- (घ) आयताकार पैमाना;
- 35 अभिलेखों का प्रभार जब कोई राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) त्याग-पत्र प्रस्तुत करे अथवा उसके स्थानान्तरण का आदेश दिया जाये तब वह अपने पद को छोड़ने के पूर्व अपने राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) क्षेत्र से संबंधित समस्त अभिलेख राजस्व निरीक्षक को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे सौंपने के संबंध में राजस्व निरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी निर्देशित करे, सौंप देगा।

36. पक्ष समर्थन किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे विहित प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
37. अन्य विषयों का विनियमन— ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति के राजकीय कार्यकलाप सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
38. सेवा शर्तों का शिथिलीकरण— यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।
39. व्यावृत्ति— इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिडड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।


आज्ञा से,

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या- 1230/XVIII(1)/2015 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
12. गार्ड फाइल।


(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव

5115/रा० प०।दि. 22-12-2015

श्री वि. अनु. अधि.

रूप में रक्षण पत्रिका में

चरपा से

22/12/15

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-1

संख्या-172/XVIII(1)/2015-03(3)/2014 T.C-1

देहरादून: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा नियमावली, 2015 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 कहलायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम-12 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा नियमावली, 2015 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

शारीरिक दक्षता 12.

पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 09 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव

संख्या- 1752/XVIII(1)/2015 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इण्टरनेट के माध्यम से प्रसार हेतु।
12. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्बाल)
सचिव